

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्रीमति गीतादेवी डाड **बनाम** श्री संतोष वगैराह

धारा 111-128 एल0आर0एक्ट

मुकदमा 235 / 2022

17.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-235/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमति गीतादेवी पत्नि सत्यनारायण डाड निवासी बाजार नं0 2 भोपालगंज भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री संतोष पुत्र मांगीलाल शारदा निवासी काशीपुरी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमति रीना पत्नि संजय डाड निवासी 4/5 वर्द्धमान कालोनी भीलवाड़ा।
3. श्री संजय डाड आत्मज सत्यनारायण डाड निवासी 4/5 वर्द्धमान कालोनी भीलवाड़ा।
4. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 17.05.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जीपिया प0ह0 मालोला भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 302 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, आ0नं0 304 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, आ0नं0 305 रकबा 0.0215 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.2772 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम जीपिया प0ह0 मालोला भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 302 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, आ0नं0 304 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, आ0नं0 305 रकबा 0.0215 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.2772 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम जीपिया प0ह0 मालोला भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 302 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, आ0नं0 304 रकबा 0.6323 हैक्टेयर, आ0नं0 305 रकबा 0.0215 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.2772 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 250/-रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/-रूपये (पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सांगानेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।


(ओम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा